



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-114

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 269220 दिनांक 28/11/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Gajendra Singh S/o Gulab Singh	लोकचन्द शर्मा पुत्र ओंकार मल शर्मा	12	200.00 SQ. YARD	Cooperative	ASHOK VATIKA Sector/Block-	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना अशोक वाटिका के भूखण्ड संख्या 12 क्षेत्रफल 200 व.ग. की लीजडीड दिनांक 18.08.2007 को लोकचन्द शर्मा पुत्र ओंकार मल शर्मा के नाम से जारी किया गया है। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.06.2008 को लोकचन्द शर्मा पुत्र ओंकार मल शर्मा द्वारा रतन सिंह पुत्र गोपाल सिंह को कर दिया गया। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.07.2011 को रतन सिंह पुत्र



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

गोपाल सिंह द्वारा
अमित खण्डेलवाल
पुत्र श्री राजकुमार
खण्डेलवाल को
कर दिया गया।
तत्पश्चात् उक्त
भूखण्ड का बेचान
जरिये रजिस्टर्ड
विक्रय पत्र दिनांक
26.09.2013 को
अमित खण्डेलवाल
पुत्र श्री राजकुमार
खण्डेलवाल द्वारा
गजेन्द्र सिंह पुत्र
गुलाब सिंह को
कर दिया गया।
आवेदक द्वारा
लीजहोल्ड से
फ्रीहोल्ड हेतु
आवेदन किया
गया है। प्रश्नगत
भूखण्ड का एक से
अधिक बार बेचान
किये जाने पर
विज्ञप्ति जारी
करवाया जाना
उचित होगा।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Gajendra Singh S/o Gulab Singh को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004